पत्र स0–40 / आ0नि0–08 / 2025................................ / वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष।

दिनांक–.........

विषय– **विभाग अन्तर्गत गठित समितियों में वित्त विभाग का प्रतिनिधि नामित करने के संबंध में।**

प्रसंग– वित्त विभागीय पत्रांक–5069, दिनांक–08.06.2023 तथा 1880, दिनांक–21.02.2024।

महाशय,

निदेशानुसार प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में कहना है कि विभागान्तर्गत विभिन्न कार्यरत / गठित समितियों की निर्धारित बैठकों में, जहाँ वित्त विभागीय पदाधिकारी / प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेना होता है, वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए संबंधित विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार को ही वित्त विभागीय प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

तद्नुसार विभागान्तर्गत गठित समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार को वित्त विभागीय प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। भविष्य में तद्संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. इसके अतिरिक्त यदि किसी वैधानिक प्रावधान (Statutory Provision) के आलोक में अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग संबंधित विभाग के किसी समिति के सदस्य के रूप में नामित हैं, तो केवल वैसे बैठकों के लिए ही वित्त विभाग को अनुरोध / सूचना भेजी जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांक-**40 / आ0नि0–08 / 2025**................/वि0, पटना, दिनांक-.............

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव(संसाधन) के आप्त सचिव / सचिव (व्यय) के आप्त सचिव / विशेष सचिव के आप्त सचिव / अपर सचिव / सभी संयुक्त सचिव / बजट पदाधिकारी / बजट सलाहकार / वित्तीय विशेषज्ञ / सभी संयुक्त आयुक्त / सभी उप सचिव / उप बजट नियंत्रक–सह–उप सचिव / सभी उपायुक्त (वि०प्र०) एवं सभी अवर सचिव, वित्त विभाग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांक–**40 / आ0नि0–08 / 2025** 9050 / वि0, पटना, दिनांक– 19.08.2025

प्रतिलिपि–श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिसट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/8/25

(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।